न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–44 / 2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रवि शंकर सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04/3/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–97 / म0नि0को0 दिनांक–30.01.2019 से प्राप्त सिंहवाड़ा थाना कांड सं0–202 / 18 दिनांक 08.10.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टाटा ग्रेंड रजि0 नं0–BR06PA-4052 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल गश्ती के दौरान भरवाड़ा बाजार दोसिमना चौक के पास में थे तो एक एक गाड़ी BR06PA-4052 संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। जब गाड़ी के पास जाकर देखा गया तो उसमें एक आदमी बैठा था उसे नीचे उतरने को कहा गया। जब वह नीचे उतरा तो उसके मुँह से शराब की गंध आ रही थी। जब गाड़ी की तलाशी ली गयी तो चालक के सीट के बगल से एक 750ml का अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग का बोतल पाया गया, जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त गाड़ी को दिनांक 15.12.2015 को ही रविशंकर कुमार सिंह के हाथ बिक्री कर दिया। उक्त गाड़ी से उन्हे अब कोई सरोकार नहीं है। अतः इस वाद से उन्हें मुक्त करने की कृपा की जाय। विपक्षी अभियुक्त रविशंकर कुमार सिंह की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में कथन है कि जब्त वाहन उनका नहीं है। उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी का कथन है कि उन्होंने उक्त जब्त वाहन को 15.12.2015 को ही बिक्री कर दिया, जिसका बिक्री नामा की छायाप्रति	

संलग्न किया गया है। विपक्षी अभियुक्त का कथन है कि उन्हें उक्त वाहन से कोई लेना–देना नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिंहवाड़ा थाना कांड सं0–202/18 दिनांक 08.10.2018 में जब्त वाहन टाटा ग्रेंड रजि0 नं0–BR06PA-4052 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा